

21/9/16

मसूदा (अजमेर)

वकील जयशंकर एवं स्वयं जयशंकर अग्रवाल। उन्हें बंगलास के वकालत प्रवृत्ति होने तक बक बक कर बार बार आवेदन लगावाए गए लेकिन कोई एजिडर नही आया। प्रकरण में 022 R4 दिनांक 19-5-11 को स्वीकार कर प्रतिवादी सं. 1 व 6 के LR को नजिलेख पर लिए जाने व श्रेणीकृत इनका पेश करने के आदेश पारित किये गये। मई 2011 के बाद से ओदिनांक इनका एच LR 1 व 6 की तालकी देखे नीचे तलवाक इतने इन्टराल तक पेश नही किया है। अतः प्रकरण अदम अडुली में स्वारिज किया जाता है। मिलाव फैसल सुनार होकर नया व करक हो। बाद फलवर दारिख हो।

उपखण्ड अधिकारी  
मसूदा (अजमेर)

